www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञाप्ति
दिनांक: 01.03.2017

**सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में एम.एस.एम.ई. डिवेलपमेन्ट इन्स्टीट्यूट में कार्यरत सहायक निदेशक एवं एक अन्वेषक को गिरफ्तार किया**

सीबीआई ने 25,000 रू. की कथित घूसखोरी में एम.एस.एम.ई. डिवेलपमेन्ट, इन्स्टीट्यूट चम्बा घाट, सोलन (हिमाचल प्रदेश) के निदेशक के कार्यालय में कार्यरत सहायक निदेशक (ई.एल.ई.सी.) एवं एक अन्वेषक/ निरीक्षक (ग्लास एण्ड सीरेमिक) को आज गिरफ्तार किया।

एक शिकायत के आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि शिकायतकर्ता से उसके फर्म को जारी किए गए प्रमाण पत्र में अतिरिक्त उत्पादों के अतिरिक्त/ संशोधित रूप जारी करने में पक्षपात दर्शाने हेतु आरोपी ने 35,000 रू. की घूस की मॉंग की। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 25,000 रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। दोनो आरोपी व्यक्तियों के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों में तलाशी की जा रही है।

गिरफ्तार दोनो आरोपियों को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, शिमला के समक्ष कल पेश किया जायेगा।

*****************